



2026:AHC:162477

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27063 / 2026

अजब सिंह

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दीवान सैफुल्लाह खान

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अधिवक्ता श्री इंद्र बहादुर यादव ने सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री डी. एस. खान, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्र बहादुर यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री विजय बहादुर मौर्य को सुना।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 152/2026 अंतर्गत धारा 103(1), 140(1), 238, 61(2), 3(5) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - लोनी, जिला - गाजियाबाद में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की एफआईआर 30.05.2026 को पांच अभियुक्तों (गैर-आवेदक) के विरुद्ध धारा 109(1), 140(3), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी और एफआईआर के अनुसार

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नामजद अभियुक्तों ने आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाने के बाद सूचनादाता के भाई का अपहरण कर लिया।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जब 14.06.2026 को यह पाया गया कि मृतक का शव मथुरा में पड़ा हुआ था, तो उसके बाद मामले को धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान जब सूचनादाता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने बताया कि हतम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसे सूचित किया था कि लगभग 7-8 दिन पहले आवेदक और कई अन्य लोग मृतक को खत्म करने की योजना बना रहे थे, और उसके बाद जब हतम सिंह का बयान दर्ज किया गया, तो उसने भी सूचनादाता के बयान की पुष्टि की, और मात्र इसी आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि हतम सिंह के उपरोक्त बयान के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि मृतक की मृत्यु डूबने से हुई थी और उसे कोई बाहरी चोट नहीं आई थी, इसलिए इस स्तर पर भी इसे हत्या का मामला नहीं कहा जा सकता। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक इस अपराध में शामिल था।

9. आगे यह तर्क दिया गया है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और बिना किसी ठोस साक्ष्य के आवेदक को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में आवेदक 01.06.2026 से जेल/कारागार में है।

11. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और साथ ही सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।

13. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था, किन्तु विवेचना के दौरान जब सूचनादाता ने बताया कि हतम सिंह नामक व्यक्ति ने उसे सूचित किया था कि आवेदक और अन्य लोग मृतक की हत्या की योजना बना रहे थे, तब उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया। अभिलेख से पता चलता है कि साजिश रचने के आरोप के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य आरोप नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक के विरुद्ध साजिश रचने का कोई ठोस साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है।

14. इसके अतिरिक्त, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि उसे कोई बाहरी चोट नहीं आई थी और उसकी मृत्यु डूबने से हुई थी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि किसी अन्य पुख्ता साक्ष्य के अभाव में प्रथम दृष्टया इस स्तर पर इसे हत्या का मामला नहीं कहा जा सकता, इस स्तर पर इनकार नहीं किया जा सकता।

15. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में आवेदक 01.06.2026 से जेल/कारागार में है।

16. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

17. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

18. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **अजब सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

19. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 4, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।